



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13-9-06

20/Chalun/42879 959 240 3-9-11

13-9-06



आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

81AD 548348

आगरा

कोड संख्या-

प्रेषक

सहायक अभियन्ता (सम्पत्ति),

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

Compared by.....

Prepared by.....

पत्र संख्या 547/डी/ए.ई.पी./2006-07

सेवा में

श्रीमती गीता देवी,

पत्नी श्री सिद्धेश्वर सघान,

12 विश्वकर्मा एन्कलेव एक्सटेंशन,

शास्त्रीपुरम् रोड, आगरा।

दिनांक: 16-06-2006

विषय:- ताजनगरी द्वितीय चरण, फेस-एफ, 120.00 वर्गमीटर भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पंजीकरण अवधि दिनांक 13.03.2006 से 27.03.2006 तक खोले गये पंजीकरण के अन्तर्गत प्राप्त आपके आवेदन फार्म संख्या 22025 पंजीकरण दिनांक 25.03.06 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 15-05-2006 के द्वारा ताजनगरी द्वितीय चरण में आवासीय प्रयोग हेतु भूखण्ड संख्या -एम-8, ताजनगरी द्वितीय चरण योजना जिसका मानक क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर है, "शेष भुगतान दो माह में" भुगतान पद्धति के अन्तर्गत 40 पि 40 श्रेणी में निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर आपके नाम आवंटित कर दिया गया है। विवरण निम्नवत है:

(1)	भूखण्ड का मूल्य	रु०.	3,43,800.00
(2)	12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क	रु०	41,256.00
(क)	कुल धनराशि (1)+(2)	रु०.	3,85,056.00
(ख)	आवेदन के समय जमा पंजीकरण धनराशि	रु०	17,190.00
(ग)	वॉंछित आवंटन धनराशि	रु०	3,26,610.00
(घ)	वॉंछित फ्री होल्ड धनराशि	रु०	41,256.00
(च)	कॉर्नर शुल्क 10 प्रतिशत .....	साईट प्लान के अनुसार यदि देय है।	
(छ)	पार्क के सामने स्थित भूखण्ड पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देनी होगी।		
(ज)	60 फुट या उससे अधिक चौड़ी सड़क के सहारे स्थित भूखण्ड पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देनी होगी।		

1. अतः आप आवंटन धनराशि रु० 3,26,610.00, फ्रीहोल्ड शुल्क रु० 41,256.00, एवं सीमा स्तम्भ शुल्क 100/- एवं अन्य शुल्क रु० 300/- कुल धनराशि रु० 3,68,266.00 दिनांक 16-06-06 तक प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करा दें। उक्त धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में विलम्बित अवधि पर 19.50% वार्षिक की दर से विलम्ब ब्याज देय होगी।

.....(2)

23/9/19



(2)

2. विलम्ब ब्याज सहित धनराशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से विलम्बतम अवधि 90 दिवस होगी । यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं कराई जाती है तब भूखण्ड का आवंटन बिना किसी अन्य सूचना के निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी ।
3. आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवश्यक धनराशि के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर जोकि कोषागार, आगरा से कय किये गये हों व पासपोर्ट साइज के 6 फोटो जमा करा कर भवन का विक्रय विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा ।
4. भूखण्ड का उपरोक्त क्षेत्रफल स्टैण्डर्ड है । विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व प्राप्त साईट प्लान के अनुसार यदि क्षेत्रफल में कोई अन्तर आता है तो आवंटी को मान्य होगा तथा उपलब्ध स्थल एवं क्षेत्रफल के अनुसार कब्जा दिया जायेगा । क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में आवंटी को अन्तर की धनराशि विभाग द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी ।
5. आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात आवंटित भूखण्ड का कब्जा सूचना पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करना होगा ।
6. कब्जा सूचना पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना होगा । पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली 2005-06 व समय समय पर प्राधिकरण द्वारा पारित संकल्पों को स्वीकार करने के लिये आवंटी बाध्य होगा ।
7. यदि आप अवशेष धनराशि किसी ऋणदायी संस्था से ऋण लेकर एक मुश्त जमा करना चाहते हैं तो इसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी । परन्तु इस हेतु यदि आवंटित सम्पत्ति को ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखना वांछित हो तो प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय  
R/15/6/06  
(नीरज गुप्ता)

सहायक अभियन्ता(सम्पत्ति)

SANTAY PLACE, AGRA <282002>  
SP EE 212752191 IN  
Counter No:1, GP-Code:RAJIV  
To:SEETA DEVI, VISHWAKARMA ENCLV  
AGRA  
From:A.E PROPERTY ADA, AGRA  
Wt:12grams,  
PS:25.00, 29/06/2006, 17:25:19  
Have a nice day

भारतीय डाक



INDIA POST

F  
f  
2  
M